छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
—:: मंत्रालय ::—
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला रायपुर

क्रमांक 522/75/PFMS/ब–4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/03/2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषय :– केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राशि विमुक्ति की संशोधित प्रक्रिया– विमुक्त केन्द्रांश की राशि एस.एन.ए. खाते में अंतरित नहीं करने पर स्वीकृति आदेश सृजित नहीं होना।

संदर्भ :– भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन एफ.क्र. 1(13)/पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 15.03.2022

-----000-----

भारत सरकार के समसंख्यक कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 23.03.2021 के बिन्दु 16 के अनुसार राज्य शासन के भारतीय रिजर्व बैंक खाते में केन्द्रांश की राशि प्राप्ति के 21 दिनों के भीतर राशि को एस.एन.ए. खाते में अंतरित किया जाना है। परन्तु इसके क्रियान्वयन में विलंब की स्थिति परिलक्षित हो रही है। जिसके दृष्टिगत भारत सरकार के संदर्भित ज्ञापन द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि भारत सरकार द्वारा विमुक्त किये गये केन्द्रांश की अंतिम किश्त की राशि राज्य कोष से योजना के एस.एन.ए. खाते में हस्तांतरित नहीं की जाती है तो दिनांक 01.04.2022 से पी.एफ.एम.एस. में अनुवर्ती किश्त के स्वीकृति आदेश सृजित नहीं किये जाने का चेक लगाया जावेगा।

ज्ञातव्य है कि वित्त निर्देश 06/2012 द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रांश/राज्यांश विमुक्त करने का दायित्व प्रशासकीय विभाग का है एवं इसके लिये नस्ती वित्त विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। अतः भारत सरकार का संदर्भित ज्ञापन संलग्न कर विभागों को अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाता है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

23/03/2022
(ऋषभ पराशर)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 523/75/PFMS/ब–4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/03/2022

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

4. समस्त विशेष सचिव/अपर सचिव/संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
5. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
6. संयुक्त महालेखा नियंत्रक , पी.एफ.एम.एस. ,राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई इन्द्रावती भवन नवा रायपुर ,अटल नगर की ओर सूचनार्थ
7. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

F. No. 1(13)/PFMS/FCD/2020
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
******

5th Floor, Block 11, CGO Complex
New Delhi, the 15th March, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Procedure for release of funds under the Centrally Sponsored Schemes (CSS) and monitoring utilization of the funds released – non generation of sanction order if Central share released earlier has not reached SNA.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM of even number dated 23rd March, 2021 on the above mentioned subject and to say that as per point 16 of the OM, the State Government will transfer the central share received in its account in the RBI to the concerned SNA's account within a period of 21 days of its receipt. However as per information shared by State Treasuries with PFMS, considerable delays in transfer have been observed.

2. It has therefore, been decided that w.e.f. 01.04.2022, a check will be operationalized in the PFMS that if a previous instalment of central share released by the Government of India has not reached from State Treasury to SNA's Account, sanction order for subsequent instalment of central share will not be generated.

3. This issues with the approval of Finance Secretary and Secretary (Expenditure).

(Abhay Kumar)
Director
Tele No. 24360647

To,

1. All Secretaries to the Government of India.
2. All Financial Advisors to the Govt. of India.
3. All Pr. CCAs/CCAs of all Ministries/Departments.
4. Addl. CGA (PFMS) with the request to operationalize the necessary check in PFMS.

Copy to:

1. Chief Secretaries of all States/Union Territories
2. Principal Secretary Finance of all States/Union Territories

Copy for information to:

1. PPS to Controller General of Accounts.
2. Sr. PPS to Addl. Secretary (PFS), Ministry of Finance, New Delhi
3. Jt. CGA, PFMS (Roll Out), O/o CGA, Shivaji Stadium Annexe, New Delhi
4. Jt. CGA, PFMS (TRBRM), O/o CGA, Shivaji Stadium Annexe, New Delhi
5. Jt. CGA, PFMS (GIFMIS), O/o CGA, Shivaji Stadium Annexe, New Delhi

Add.Sec./Spl.Sec./Jt.Sec./Dy.Sec/U.Sec/Dir.Fin/FA
Secretary
Finance Department

CHIEF SECRET...
No. 2735
Date 16/3/2022